सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 14.07.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा मे कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिंदा कारतूस, 01 छुरा व चोरी की घटना कारित करने का समान बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बसरेहर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 13/14.07.24 की रात्रि को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान अकबपुर रोड पर कुछ व्यक्ति सड़क किनारे 01 टैम्पो में चोरी की घटना कारित करने की योजना बना रहे है। जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा 02 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर कल्लाबाग से अकबरपुर जाने बाले रोड पर **समय 03.05 बजे रात्रि मे पकड़ लिया गया।**

पुलिस पूछताछः

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति रहीस पुत्र मो0 सलीम निवासी खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा दूसरे व्यक्ति मोहम्मद रिजवान पुत्र शाहबुद्दीन निवासी अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा के कब्जे से 01 छुरा,01 लॉक कटर,01 सब्बल बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि हम लोग मिलकर चोरी करते है तथा आज ग्राम अकबरपुर में चोरी करनें की योजना बना रहे थे।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रहीस पुत्र मो0 सलीम निवासी खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया **उम्र 24 वर्ष**।
2. मोहम्मद रिजवान पुत्र शाहबुद्दीन निवासी अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 25 वर्ष**।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. 01 छुरा
4. 01 सब्बल
5. 01 लॉक कटर
6. 01 पेंचकस
7. 01 टैम्पो **(UP 79 AT 2102) धारा 207 एमवी एक्ट में सीज**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 58/24 धारा 312/313 बीएनएस व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री समित चौधरी थाना बसरेहर, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, हे0का0 मोहित कुमार, का0 विनोद कुमार, का0 अरविन्द चौधरी।